



मसौदा वसिफोटक वधियक, 2024

प्रलिस के लयि:

[पेट्रोलयिम एवं वसिफोटक सुरकषा संगठन, उद्योग और आंतरकि वयापार संवरधन वभिग](#), वसिफोटक अधनियिम 1884, शस्त्र अधनियिम, 1959

मेन्स के लयि:

वसिफोटकों का वनियिमन, राष्ट्रीय सुरकषा को बढ़ाना और वसिफोटकों से जुड़े जोखमिों को कम करना

[स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड](#)

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार का उद्देश्य [वसिफोटक अधनियिम, 1884](#) को नए वसिफोटक वधियक, 2024 से परिवर्तित करना है।

- [उद्योग और आंतरकि वयापार संवरधन वभिग \(DPIIT\)](#) ने वधियक का मसौदा प्रस्तावित किया है।
- वधियक का प्रमुख उद्देश्य नियामक उल्लंघनों के लिये जुर्माना बढ़ाना एवं लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना है।

प्रस्तावित वसिफोटक वधियक, 2024 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **लाइसेंसिंग प्राधिकारी का पदनाम:** प्रस्तावित वधियक के तहत, केंद्र सरकार **लाइसेंस देने, लाइसेंस को नलिंबति अथवा रद्द करने** के लिये ज़िम्मेदार प्राधिकारी को नामित करेगी।
 - वर्तमान में पेट्रोलयिम और [वसिफोटक सुरकषा संगठन \(PESO\)](#) DPIIT के अधीन कार्यरत है तथा नियामक नकिया के रूप में कार्य करता है।
- **लाइसेंसों में नरिदषिट मात्रा:** लाइसेंस में वसिफोटकों की मात्रा नरिदषिट होगी जिसका कोई लाइसेंसधारक एक नश्चित अवधि के लिये नरिमाण, स्वामतिव, बकिरी, परिवहन, आयात या नरियात कर सकता है।
- **उल्लंघन के लिये दंड:** प्रस्तावित वधियक में उल्लंघनों के लिये सख्त दंड की रूपरेखा नरिधारित की गई है। नियमों का उल्लंघन करके वसिफोटकों के नरिमाण, आयात अथवा नरियात के लिये अपराधियों को **तीन वर्ष तक की कैद, 1,00,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों** सकते हैं।
 - नियमों का उल्लंघन करके वसिफोटकों को रखने, उपयोग करने, वकिरय अथवा परिवहन करने पर दो वर्ष तक की कैद, 50,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं, हालाँकि इसके लिये **मौजूदा जुर्माना 3,000 रुपए है**।
- **सुव्यवस्थिति लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ:** लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे व्यवसायों के लिये कड़े सुरकषा मानकों को बनाए रखते हुए आवश्यक परमटि प्राप्त करना सरल हो जाएगा।

पेट्रोलयिम तथा वसिफोटक सुरकषा संगठन:

- **PESO**, जसि पहले **वसिफोटक वभिग** के नाम से जाना जाता था, वर्ष 1898 में अपनी स्थापना के पश्चात से वसिफोटक, संपीडित गैस और पेट्रोलयिम जैसे हानिकारक पदार्थों की सुरकषा को वनियिमित करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में देश की सेवा कर रहा है।
- PESO का प्रमुख कार्य **वसिफोटक अधनियिम 1884 और पेट्रोलयिम अधनियिम, 1934** के तहत सौपी गई ज़िम्मेदारियों का प्रबंधन करना है तथा नियम वसिफोटक, पेट्रोलयिम उत्पादों तथा संपीडित गैसों के नरिमाण, आयात, नरियात, परिवहन, कब्जे, बकिरी व उपयोग से संबंधित नियमों को बनाना है।
- यह **DPIIT, वाणजिय और उद्योग मंत्रालय** के तहत संचालित होता है।
- संगठन ने कानून प्रवर्तन, सुरकषा और सुरकषा जाँच कर्मियों को वसिफोटकों को सुरकषित रूप से संभालने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया है, यह राष्ट्र के प्रशिक्षण बुनयिदी ढाँचे में मौजूद एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करने में सहायक होगा।

वस्फोटक अधिनियम, 1884 क्या है?

- **ऐतहासिक संदर्भ:** ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिनियम, 1884 के वस्फोटक अधिनियम का उद्देश्य वस्फोटकों के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करना था।
- **सुरक्षा विनियम:** अधिनियम विभिन्न प्रकार के वस्फोटकों पर लागू होता है, जिनमें बारूद, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन और अन्य वस्फोटक पदार्थ शामिल हैं।
 - इस अधिनियम में वस्फोटकों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिये सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है, जिसमें दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये हैंडलिंग, परिवहन एवं भंडारण दिशानिर्देश शामिल हैं।
 - यह अधिनियम केंद्र सरकार को **वस्फोटकों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, परिवहन, आयात एवं निर्यात** को विनियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।
 - ये नियम लाइसेंस जारी करने, शुल्क, शर्तों और छूट को नियंत्रित करते हैं।
- **खतरनाक वस्फोटकों का निषेध:**
 - केंद्र सरकार सार्वजनिक सुरक्षा के हित में विशेष रूप से खतरनाक वस्फोटकों को तैयार करने, कब्जे या आयात पर नियंत्रण लगा सकती है।
- **अधिनियम से छूट:**
 - यह अधिनियम **शस्त्र अधिनियम, 1959** के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है तथा वस्फोटक अधिनियम के तहत जारी किये गए लाइसेंस के लिये शस्त्र अधिनियम में लाइसेंस के प्रभाव के प्रावधान किये गए हैं।
 - शस्त्र अधिनियम, 1959 गोला-बारूद एवं आग्नेयास्त्रों के कब्जे, अधिग्रहण और इसे साथ ले जाने को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य अवैध हथियारों और हिसा पर अंकुश लगाना भी है। **इस अधिनियम ने वर्ष 1878 के भारतीय शस्त्र अधिनियम का स्थान भी ले लिया।**
- **विकास तथा संशोधन:** समय के साथ वस्फोटक अधिनियम में तकनीकी प्रगति और उभरती चुनौतियों के अनुकूल हेतु कई संशोधन किये गए, मुख्य रूप से सुरक्षा मानकों एवं नियामक तंत्र को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

नोट:

- कर्नाटक के कोडागु (कूरग) ज़िले की एक मारशल जाति, कोडावा, भारत की उन कुछ जनजातियों में से एक है, जिन्हें **बना लाइसेंस के बंदूक रखने की अनुमति** है।
 - वर्ष 1834 से भारतीय शस्त्र अधिनियम के नियमों से स्वतंत्र कोडावा, **टीपू सुलतान** के वरिद्ध अंग्रेजों को दिये गए समर्थन के लिये जाने जाते हैं तथा उन्हें **सरकार से छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करना** आवश्यक है।

प्रचलित वस्फोटक:

- **डायनामाइट:**
 - डायनामाइट एक प्रकार का वस्फोटक है जो मुख्य रूप से **नाइट्रोग्लिसरीन** को मट्टी जैसे अवशोषक पदार्थ के साथ मिलाकर बनाया जाता है।
 - यह मशिन **अत्यधिक अस्थिर नाइट्रोग्लिसरीन** की मात्रा को स्थिर करता है, जिससे इसे नियंत्रित करना और इसका परिवहन करना सुरक्षित हो जाता है।
- **अमोनियम नाइट्रेट:**
 - अमोनियम नाइट्रेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें अमोनियम आयन (NH₄) और नाइट्रेट आयन (NO₃) शामिल हैं।
 - सामान्यतः इसका उपयोग कृषि उर्वरक के रूप में किया जाता है, परंतु **कुछ स्थितियों में इसका उपयोग वस्फोटकों के रूप में भी किया जा सकता है, विशेषतः जब इसे ईंधन स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है।**
- **TNT (ट्राई-नाइट्रो टालुइन):**
 - TNT एक कार्बनिक यौगिक है जो टालुइन नामक एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है।
 - एक **पीला, गंधहीन एवं स्थिर ठोस पदार्थ** है जो घर्षण के प्रति अक्रियाशील है, यह विशेषता इसे सैन्य एवं औद्योगिक उपयोग तथा जल के अंदर वस्फोट में प्रयुक्त होने वाले वस्फोटक के रूप में एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है।
- **TNE (ट्राईनाइट्रोएथलीन):**
 - TNE एक कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक है। जिसका उपयोग वस्फोटक के रूप में किया जाता है, परंतु TNT जैसे अन्य वस्फोटकों की तुलना में यह कम प्रचलित है।
- **RDX (रॉयल डिमिलशिन एक्सप्लोसिव):**
 - RDX एक कार्बनिक यौगिक है, जो देखने में सफेद पाउडर जैसा होता है। इसकी उच्च वस्फोटक शक्ति एवं स्थिरता के कारण यह वस्फोटक सैन्य तथा सामान्य अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।
 - इसे **साइक्लोनाइट या हेक्सोजन** के नाम से भी जाना जाता है।

दृष्टांश प्रश्न:

प्र. वस्फोटकों एवं खतरनाक सामग्रियों के लिये भारत के वर्तमान नियामक परदृश्य पर 1884 के वस्फोटक अधिनियम जैसे औपनिवेशिक युग के कानून के प्रभाव का विश्लेषण करें।

